# राजस्थान सरकार
## वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग

क्रमांकः एफ.5(थ–75)कोष / IFMS/पे–मैनेजर / 8002 दिनांक 13/12/2019

**समस्त विभागाध्यक्ष**
**आहरण वितरण अधिकारी।**

**विषयः–** **राजकीय भुगतानों में शुद्धता सुनिश्चित किए जाने एवं पे–मैनेजर / पी.आर.आई. पे–मैनेजर पर उपलब्ध कार्मिकों की एम्पलॉई आई.डी. एवं मास्टर डेटा की जाँच के संबंध में।**

**संदर्भः–** **वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग का परिपत्र क्रमांक 3666–4165 दिनांक 13.09.2019**

संदर्भित परिपत्र द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के अन्तर्गत सम्पादित किए जाने वाले राजकीय भुगतानों में शुद्धता सुनिश्चित किए जाने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं, जिनकी अक्षरशः पालना किया जाना सभी सक्षम अधिकृतियों के स्तर पर अपेक्षित है।

उक्त निर्देशों की निरन्तरता में सभी कार्मिकों से भी यह अपेक्षित है कि वे पे–मैनेजर पर उपलब्ध कार्मिक लॉगिन से अपना पूर्ण मास्टर डेटा विधिवत जाँच ले। यदि कोई संशोधन अपेक्षित है तो अविलम्ब अपने लॉगिन से सम्बद्ध आहरण वितरण अधिकारी को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करें।

आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कार्मिकों के डेटा की शुद्धता की पूर्ण जाँच के उपरान्त अपेक्षित संशोधन को स्वंय के स्तर पर डिजीटल हस्ताक्षरयुक्त लॉगिन से अधिकृत कर संबंधित विभागाध्यक्ष को अंतिम अधिकृति हेतु फॉरवर्ड किया जाना अपेक्षित है। विभागाध्यक्षों द्वारा सिस्टम पर जाँच एवं अधिकृत करने के उपरान्त ही संशोधित डेटा सिस्टम का भाग होगा।

विभागाध्यक्षों द्वारा परिपत्र दिनांक 13.09.2019 के संदर्भ में निर्देशों की पूर्ण पालना तथा मास्टर डेटा अधिकृति हेतु पे–मैनेजर पर अविलम्ब रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य है। डेटा अधिकृति के अभाव में जनवरी देय फरवरी माह के संवेतन बिल भुगतान किए जाने संभव नहीं होगें।

साथ ही आहरण वितरण अधिकारियों के स्तर पर राजकीय भुगतानों हेतु उपयोग में लाए जा रहे मास्टर डेटा मय बैंक विवरण, खाता संख्या, खाताधारक का नाम इत्यादि की पूर्ण शुद्धता तथा राजकीय भुगतानों का नियमानुसार सम्पादन किया जाना अति आवश्यक है। विभागाध्यक्षों एवं विभाग के वित्तीय सलाहकारों के स्तर पर उक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया का पर्यवेक्षण तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता के प्रकरण में अविलम्ब नियमानुसार उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना अपेक्षित है।

**भवदीय**

11/12

**(हेमन्त कुमार गेरा)**
**शासन सचिव, वित्त (बजट)**

8003 – 8046
13/12/2019

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., शासन सचिवालय, जयपुर
2. वित्तीय सलाहकार, समस्त विभाग को वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग द्वारा दिनांक 13.09.2019 को जारी परिपत्र की पूर्ण पालना सुनिश्चित करवाने हेतु।
3. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को वित्त विभाग की साईट पर अपलोड करने हेतु।
4. कोषाधिकारी, समस्त।

**संयुक्त शासन सचिव**